न्यायालयः राकेश कुमार तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 360 / 2026
सुपौल थाना कांड सं0– 92 / 2015

08/04/26	**सुभाष कुमार उर्फ सुभाष कुमार सिंह, पे0 रमेश प्रसाद सिंह** **सा0– बलुआ, थाना– बलुआ बाजार, जिला–सुपौल.....आवेदक** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी** --- प्रार्थी अभियुक्त सुभाष कुमार उर्फ सुभाष कुमार सिंह की ओर से सुपौल थाना कांड संख्या– 92 / 2015 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री देवकुमार सिंह द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त का कहना है कि प्राथमिकी में उसका नाम कैसे दर्ज हुआ इसकी जानकारी उसे अनुंधानकर्ता द्वारा नहीं दी गयी तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा उसे धारा 41(1) दं0प्र0सं0 का भी नोटिश नहीं भेजा गया है एवं उसपर कोई मुकदमा नहीं बनता है। प्रार्थी अभियुक्त का कहना है कि वह घ ाटनास्थल पर मौजूद नहीं था और न ही किसी प्रकार की संलिप्तता है तथा दुश्मनी के कारण प्राथमिकी में उसका नाम दिया गया है। प्रार्थी अभियुक्त धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों को मानने तथा सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक मो0 अबु जफ़र द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद सूचक राजकिशोर बैठा, पु0नि0 सह थानाध्यक्ष सुपौल के लिखित आवेदन के आधार पर धारा 147, 148, 149, 341, 323, 353, 427, 435, 504 भा0दं0वि0 एवं 3 / 4 Damage to Public Property Act 1985 के तहत दर्ज है। सूचक का संक्षेप में कथन है कि उसे दिनांक 01 / 03 / 2015 को शाम के 5.30 बजे दुरभाष सूचना मिली की ग्राम गौरवगढ़ में सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हुआ है। इस आशय का सनहा दर्ज किया एवं आवश्यक जांच एवं कार्रवाई हेतु सूचक सशस्त्र बल के साथियों के साथ समय 18.00 बजे गौरवगढ़ सुपौल चौक के पास पहुँचा तो सड़क पर बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया गया था भीड़ काफी आक्रोशित थी सूचक द्वारा भीड़ को समझाया गया लेकिन भीड़ नहीं मानी और वो लोग गाड़ी को तोड़ फोड करने लगे, टायर जलाने लगे, लाठी से यात्रीगण से मारपीट करने लगे सूचक द्वारा समझाने पर भी वो लोग नहीं माने और तोड़ फोड़ करते रहे। इसी बीच वन विभाग की गाड़ी BR19-D/7723 जैसे ही जाम स्थल के पास आयी उक्त गाड़ी को आग लगा दिया गया। सूचक द्वारा अग्निशामक सेवा एवं पुलिस बल अधीक्षक महोदय को और पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी भेजने का आग्रह किया, इसी बीच भीड़ में से कुछ लोग पुलिस बल पर जानलेवा हमला किया तो पुलिस वाले पीछे हट कर आसपास के घर में शरण लिया उसके बाद और पुलिस बल आयी फिर आवेदक अभियुक्त सहित कुल 29 व्यक्तियों को विधिवत गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में लिया। पूरे घटनाक्रम के फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी के आधार पर सूचक एवं उसके साथ के पुलिस बल द्वारा नाजायज मजमा बनाकर पहचान कराया गया जिसमें से नेतृत्व कुश कुमार यादव, लवकुमार यादव, रंजन यादव, लालो यादव एवं अज्ञात 20–25 व्यक्ति संलिप्त थे	**लगातार**

न्यायालयः राकेश कुमार तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 360 / 2026
सुपौल थाना कांड सं0– 92 / 2015

08/04/26 **लगातार**	जो सभी भागने में सफल रहे। सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सूचक द्वारा प्रार्थी अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्तों पर पुलिस वाहन को तोड़–फोड़ करने, पुलिस बल पर मारपीट करने एवं उपद्रवी फैलाने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान के क्रम में प्रार्थी अभियुक्त को अनुसंधानकर्ता द्वारा 41(1) दं0प्र0स0 का नोटिश नहीं दिया गया था और न ही प्रार्थी अभियुक्त का नोटिश में कहीं कोई नाम है। कांड दैनिकी के कंडिका 23 से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता द्वारा कांड के अन्य सह–अभियुक्तों को धारा 41(1) दं0प्र0सं0 के तहत नोटिश देकर उनको अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि कांड के अन्य सह–अभियुक्तों मो0 मिराज, मो0 तबरेज, मो0 सफरेज आलम उर्फ सैफ अली को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–397 / 2024, अभियुक्तगण मुस्ताक आलम, आजाद आलम, साजिद आलम को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–586 / 2024, अभियुक्तगण संजय कुमार एवं पिन्टु कुमार दास को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–550 / 2024 तथा अभियुक्तगण मनोज कुमार उर्फ कृष्ण कुमार यादव एवं मिथिलेश कुमार को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–495 / 2024 के मार्फत पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया है तथा अग्रिम जमानत प्राप्त अभियुक्तों के समान स्तर का मामला प्रार्थी अभियुक्त पर है। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप सामान्य एवं सर्वग्राही (General and Omnibus) प्रकृति का है तथा प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्त सुभाष कुमार उर्फ सुभाष कुमार सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा प्रार्थी अभियुक्त की गिरफ्तारी या 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने कि स्थिति में निम्न न्यायालय अभियुक्त को मो0 10,000 / – रूपये के समान राशि के दो जमानतदारों के साथ बंधपत्र देने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधिन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है किः– 1. प्रार्थी अभियुक्त का एक जमानतदार उसके माता / पिता / नजदीकी रिस्तेदार होंगे। 2. प्रार्थी अभियुक्त बंध पत्र दाखिल करते वक्त विद्वान निम्न न्यायालय में इस आशय का वचनबद्धता दाखिल करेगा कि वह भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा, यदि पाया गया, तो विद्वान निम्न न्यायालय उसका बंध पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होगा। 3. प्रार्थी अभियुक्त वाद के विचारण में सहयोग करेगा। लेखापित (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	